न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 185 / 18 (वाद)

GCMS NO. : 2018 / 00385

अनवान

1. श्री रामसिंह पिता करणसिंह जी झाला जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ....वादी

बनाम्

1. श्री मनोहरसिंह पिता डूंगरसिंह जी झाला जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ....प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता वादी ।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 15.09.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धर्मेता, पटवार हल्का बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1266 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी पर मैं वादी अपने परिवारजन सहित ही काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा हूँ और पूरी जमीन के चारो और कांटो एवं थौहर की बाड़ बना रखी है तथा न्यायालय के आदेशानुसार मुझ वादी की जमीन की पुर्वी सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन किया है उस स्थान पर मुझ वादी ने कोट निर्माण कराने के लिये मौके पर पत्थर डलवा रखे है तथा कांटे छड़िया भी डाल रखी है। उक्त वर्णित जमीन में प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार नही है। लेकिन प्रतिवादी नाजायज रूप से मुझ वादी की जमीन को हड़पने की नियत से मेरे खातेदारी की पुर्वी सीमा की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा मुझ वादी को बेदखल करने पर आमादा है और मेरे खातेदारी व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है और पत्थर का कोट निर्माण कराने में भी व्यवधान पैदा कर रहा है।
2. यह कि मुझ वादी का [illegible] क्योंकि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी [illegible] की है जिसपर मैं वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:22 IST
Reason: SelfAttested

अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो काश्त कर रहा हूँ जिसमें प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार नही है और जमीन की सुरक्षा के लिये कांटे एवं थौहर की बाड़ बना रखी है और पूर्वी सीमा पर कोट निर्माण कराने के लिये पत्थर भी डलवा रखे है। लेकिन प्रतिवादी मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियों को हड़पने की नियत से नाजायज रूप से मुझ वादी को उक्त जमीन से बेदखल करने पर आमादा है और मुझ वादी की खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि के पूर्वी सीमा पर कब्जा करने पर आमादा हो रहा है और कोट निर्माण कराने में भी व्यवधान पैदा कर रहा है। जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने कोई हक अधिकार नही है। इसलिये मैं वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादी उक्त वर्णित मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियों का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायें, वादी की जमीन पर वादी को पत्थर का कोट निर्माण करने में व्यवधान पैदा नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में है।

3. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 31.07.2018 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने मुझ वादी की कब्जे व खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवेदन किया की मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी करते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी उक्त वर्णित मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियों का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावें, मुझ वादी को मेरी जमीन पर पत्थर का कोट निर्माण करने में व्यवधान पैदा नही करे, इसमें किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादी मुझ वादी की जमीन पर कब्जा कर लेवे अथवा प्रतिवादी का कब्जा पाया जावे तो मुझ वादी की जमीन से प्रतिवादी के खर्चे से उसका कब्जा हटाया जावे और मुझ वादी को कब्जा पुनः दिलाया जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू. 1 वादी स्वयं रामसिंह पिता करणसिंह शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा धर्मेता की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 की खाता संख्या 77 प्रदर्श 1 करवाए गए। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की वादग्रस्त भूमि वादी की तन्हा खातेदारी की भूमि होते हुए भी प्रतिवादी, वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहा है। जबकि प्रतिवादी का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नही है। वादी दस्तावेज/साक्ष्य से वाद को साबित कराने में सफल रहा। वादी का वाद चाहे गए अनुतोष अनुसार डिक्री किया जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा धर्मेता पटवार क्षेत्र बोयणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं. 77 पर दर्ज आराजी नम्बर 1266 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि के संबंध में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। वादी वादग्रस्त भूमि का तन्हा खातेदार है। जमाबंदी के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि मौजा धर्मेता पटवार क्षेत्र बोयणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं. 77 के अनुसार वादी रेकार्डेड तन्हा खातेदार हैं। रेकार्डेड [illegible] में प्रतिवादी को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। [illegible] वादग्रस्त भूमि के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh
Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:22 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी जबरन बेदखल कर देता है या कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी तथा असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में साबित होते हैं क्योंकि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो तो वादी कब्जा प्राप्त करने के लिए इस वाद के तहत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए वादी सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धर्मेता पटवार क्षेत्र बोयणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 के खाता सं. 77 पर दर्ज आराजी नम्बर 1266 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी, वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादी का है तो वादी, प्रतिवादी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जा प्राप्त करने के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:22 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रामसिंह पिता करणसिंह जी झाला जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. श्री मनोहरसिंह पिता डूंगरसिंह जी झाला जाति राजपुत, आयु वयस्क, निवासी बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 185/18 (वाद)
GCMS No. : 2018/00385

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धर्मेता पटवार क्षेत्र बोयणा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं. 77 पर दर्ज आराजी नम्बर 1266 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी, वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादी का है तो वादी, प्रतिवादी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जा प्राप्त करने के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.09.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:55:22 IST
Reason: SelfAttested